न्यायालय
उपखण्ड अधिकारी
बसवा (दौसा)

रमेशचंद बनाम गोविंदसहाय

के. नं. T.S. 88/2002

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ... जो इस ... में
31/7/24	पत्रावली पेश हुई। व निर्णय पृथक से लिखा गया, व डिक्री 20-9-21 जारी किया गया, पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। ह० उपखण्ड अधिकारी बसवा (दौसा)	

उप जिला कलेक्टर एवं ... बसवा (दौसा) राज.

Signature Not Verified
Digitally signed by Rekha Meena
Date: 2024.10.01 16:21:24 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपजिला कलक्टर एवं उप जिला मजि. बसवा
जिला–दौसा

प्रकरण संख्या :–अ.नि. 88/2022 (210/2021)
प्रकरण रज्जु दिनांक :– 31.7.2024
निर्णय दिनांक :– 31.7.2024

प्रकरण अंतर्गत अस्थाई निषेधाज्ञा धारा 212
प्रकरण का उनवान

रमेश चंद पुत्र रामधन जाति ब्राहमण निवासी गर्ल्स स्कूल के पास बसवा
(प्रार्थी)

बनाम

1.गोविन्दसहाय पुत्र रामधन फौत के बजाए :–
1/1 सुनील पुत्र गोविन्दसहाय जाति ब्राहमण नि. बसवा
1/2 सत्येन्द्र पुत्र गोविन्दसहाय जाति ब्राहमण नि.बसवा
1/3 श्यामा पुत्री गोविन्दसहाय पत्नी चन्द्रशेखर शर्मा जाति ब्राहमण फौत की बजाए :–
1/3/1 पुनीत
1/3/2 सुमित
पुत्रान चन्द्रशेखर जाति ब्राहमण निवासी घोडाफेर का चौराहा, यशवंत प्रताप स्कूल के पीछे, अलवर

2. गोपाल
3. प्रकाशचंद
4. सुरजमल
उपरोक्त 2 लगायत 4 पुत्रान रामधन जाति ब्राहमण निवासी गर्ल्स स्कूल के पास, तहसील बसवा जिला दौसा
5. रामदुलारी पत्नी दुर्गाप्रसाद पुत्री रामधन जाति ब्राहमण निवासी महेश नगर, जयपुर
6. कमला पत्नी द्वारका प्रसाद पुत्री रामधन जाति ब्राहमण निवासी शिक्षक कॉलोनी, बांदीकुई ।
7. मंजु पत्नी घनश्याम पुत्री रामधन जाति ब्राहमण निवासी सैनी आदर्श विद्या मंदिर, नया भवन के पीछे, बांदीकुई, तहसील बांदीकुई, जिला–दौसा
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बसवा तहसील बसवा

(अप्रार्थीगण)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rekha Meena
Date: 2024.10.01 16:21:24 IST
Reason: SelfAttested

–: निर्णय वास्ते अस्थाई नि. आदेश के संबंध में:–

दिनांक :– 31.7.2024

पत्रावली पेश हुई । प्रश्नगत प्रकरण में इस अस्थाई निषेधाज्ञा प्रा.पत्र का संक्षिप्त वृतातं इस प्रकार है कि प्रार्थी ने इस आशय का अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र जरिये एडवोकेट श्री अमरसिंह गुर्जर के पेश किया कि ग्राम जावली का बाढ स्थित भूमि खाता

उपखण्ड अधिकारी
बसवा (दौसा)

संख्या 119 नया पुराना 109 खसरा नंबर 3279 रकबा 0.34 हैक्टयर, 3280 रकबा 0.39 हैक्टयर, कुल किता 2 कुल रकबा 0.73 हैक्टयर भूमि, इसी प्रकार ग्राम जावली का बाढ के खाता संख्या नया 120 पुराना 110 खसरा नंबर 3474 रकबा 0.45 हैक्टयर, 3475 रकबा 0.14 हैक्टयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.59 हैक्टयर भूमि एवं ग्राम जावली का बाढ के ही खाता संख्या नया 775 पुराना 746 खसरा नंबर 3675 रकबा 0.13 हैक्टयर, 3676 रकबा 0.03 हैक्टयर, 3677 रकबा 0.20 हैक्टयर, 3678 रकबा 0.71 हैक्टयर, 3681 रकबा 0.13 हैक्टयर कुल किता 5 कुल रकबा 1.20 हैक्टयर भूमि का प्रार्थी एवं अप्रार्थीगणों के मध्य विधिवत तकासमा नहीं हुआ है । आपसी सहमति व समझौते से भूमि मुतदाविया अहम्री बंटवारे के अनुसार काबिज काश्त हैं । राजस्व अभिलेख में जमाबंदी में मु.रूकमणी देवी पत्नी रामधन का इन्द्राज हो रहा है, रूकमणी देवी फौत हो गई है जिसके प्रार्थी एवं प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण 1 लगायत 4 पुत्र एवं अप्रार्थी संख्या 5 लगायत 7 पुत्रिया हैं तथा रूकमणी के हिस्से व हक अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी हैं । लिहाजा वर्णित भूमि में में रहन बय करने एवं निर्माण नहीं करने के लिये अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावें ।

उक्त प्रा.पत्र के आधार पर न्यायालय हाजा द्वारा 20.9.2021 को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करके अउक्त भूमि का मौका व रिकोर्ड की यथास्थिति बनाये रखें, पुखता निर्माण नहीं करने हेतु अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई ।

अस्थाई निषेधाज्ञा प्रा.पत्र के कम में अप्रार्थीगणों को नोटिस जारी किये गये, जिसमें से अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से एडवोकेट श्री श्यामसुन्दर शर्मा उपस्थित आए व अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 8 की ओर से एडवोकेट श्री ऋषि राज शर्मा उपस्थित आए, अप्रार्थी संख्या 1 की फौतगी के उपरांत 1/1 एव 1/2 ने स्वयं अपने द्वारा ही उनका पक्ष रखा एवं अप्रार्थी संख्या 1/3 की फौतगी के उपरांत 1/3/1 एवं 1/3/2 की ओर से एडवोकेट श्री श्यामसुन्दर शर्मा द्वारा उनकी ओर से पैरवी की गई ।

अप्रार्थी संख्या 1/1, 1/2 द्वारा स्वयं जवाब पेश किया एवं अप्रार्थी संख्या 1/3/1 एवं 1/3/2 की ओर से एडवोकेट श्री श्यामसुन्दर शर्मा द्वारा जवाब पेश किया । अप्रार्थी संख्या 1/1 व 1/2 की ओर से प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया गया उनके द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा प्रा.पत्र के अधिकांश बिन्दुओं को अस्वीकार किया, इसके बिन्दु संख्या 5 के कम में जो जवाब पेश किया वह उल्लेखनीय है कि "राजस्व अभिलेख जमाबंदी मुखिया रूकमणी देवी पत्नी रामधन अपने हिस्से की भूमि का बयनामा सुनीता शर्मा पत्नी सुनील कुमार शर्मा के पक्ष में दिनांक 5.9.2005 को निस्पादित की चुकी है । उक्त जवाब शामिल मिसल किया गया । इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 1/3/1 एवं 1/3/2 की ओर से भी जो जवाब पेश किया उसके अनुसार पैरा नंबर 5 पूर्णतया गलत व अस्वीकार किया गया ।

अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से निरंतर अवसर देने के उपरांत भी जवाब पेश नहीं किया गया । लिहाजा जवाब बंद किया जाता है । इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 7 को निरंतर जवाब प्रस्तुतिकरण के अवसर देने के उपरांत भी, उसके द्वारा जवाब पेश नहीं करने से उनका जवाब बंद किया गया ।

Signature Not Verified
Digitally Signed by Rekha Meena
Date: 2024.10.01 16:21:24 IST
Reason: SelfAttested

हमने उभयपक्षकरान की बहस सुनी। विद्वान प्रार्थी वकील ने उनकी बहस में इस तथ्य की पुरजोर पैरवी की कि मृतका रूकमणी देवी पत्नी रामधन द्वारा जो विकय पत्र 5.9.2005 को निस्पादित किया वह गलत है, श्रीमती रूकमणी देवी की खातेदारी भूमि में उसके 4 पुत्रों एवं 3 पुत्रियों का हिस्सा होने के उपरांत भी, उसके द्वारा विकय पत्र निस्पादित किया गया, ऐसी दशा में प्रश्नगत अस्थाई निषेधाज्ञा को कंफर्म किया जावे ।

उपखण्ड अधिकारी
बसवा (दौसा)

अप्रार्थी संख्या 1/1, 1/2 द्वारा स्वयं एवं अप्रार्थी संख्या 1/3/1 एवं 1/3/2 की ओर से एडवोकेट श्री श्यामसुन्दर शर्मा द्वारा उनकी बहस में इस तथ्य को उल्लेखित किया कि मृतका रूकमणी देवी पत्नी रामधन द्वारा उसके खातेदारी की भूमि का 5.9.2005 को श्रीमती सुनीता पत्नी सुनील कुमार के पक्ष में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र निस्पादित कर दिया गया । एवं विक्रय पत्र निस्पादन के उपरांत आदिनांक तक प्रार्थी के पक्ष में इस आशय का कोई आदेश किसी भी न्यायालय से पारित नहीं हुआ है कि दिनांक 5.9.2005 को निस्पादित विक्रय पत्र त्रुटिहीन था अथवा गलत था, अथवा इसे किसी सक्षम न्यायालय ने खारिज किया हो ।

अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 7 के विद्वान वकील द्वारा उनकी बहस में न्यायालय के सम्मुख पक्ष रखा कि भूमि प्रश्नगत में उनके मुवक्किलों का भी हिस्सा होने से, किया गया विक्रय पत्र दिनांक 5.9.2005 के मद्धेनजर, इस अस्थाई निषेधाज्ञा को कंफर्म किया जावे ।

अतः जबकि वकील प्रार्थी एवं वकील अप्रार्थीगण व स्वयं अप्रार्थी 1/1 एवं 1/2 द्वारा बहस के दौरान द्वारा अपने–अपने पक्ष को रखा, उसके संदर्भ में अस्थाई निषेधाज्ञा बरकरार रखने अथवा खारिज करने के संबंध में निम्नांकित तीनों महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर मंथन किया गया, जो निम्न प्रकार है :–

1. **सुविधा का संतुलनः–** वकील प्रार्थी ने अपना पक्ष रखा कि मृतका उनकी माता रूकमणी देवी पत्नी रामधन द्वारा जो दिनांक 5.9.2005 को विक्रय पत्र निस्पादित किया गया, वह प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 7 के हितों के विरूद्ध है । इसलिए अस्थाई निषेधाज्ञा को कंफर्म किया जावे । जबकि अप्रार्थी संख्या 1/1, 1/2 एवं 1/3/1 एवं 1/3/2 द्वारा उनकी बहस में में विवादित विक्रय पत्र दिनांक 5.9.2005 के विरूद्ध आदिनांक तक कोई आदेश नहीं होने के कारण, प्रभावी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज करने हेतु निवेदन किया है । पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री एवं बहस से स्पष्ट है कि पंजीयन कार्यवाही की धारा 60 की कार्यवाही के उपरांत पंजीयन विलेख को रद्द करवाने का क्षैत्राधिकार, राजस्व न्यायालय में सन्निहित नहीं होकर, सिविल न्यायालय में सन्निहित है । प्रार्थी द्वारा उक्त विवेचित पंजीयन विलेख दिनांक 5.9.2005 को किसी सक्षम न्यायालय से निरस्त करवाया हो ऐसे किसी भी दस्तावेज का पत्रावली में अभाव है । अतः सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में निरूपित नहीं होता है ।

2. **अपूरणीय क्षति का सिद्धांत :–** बहस के दौरान इस तथ्य पर प्रार्थी द्वारा बहस की गई कि यदि अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज किया जाता है तो प्रार्थी पक्ष को अपूरणीय क्षति होगी । जबकि पूर्व में उनके जिले में नामान्तकरण खोला गया, इसी कम में प्रार्थी रमेश चंद बनाम गोविन्दराम के उनवान से एवं प्रकरण संख्या 15/2014 एक अस्थाई निषेधाज्ञा प्रा.पत्र माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई के सम्मुख भी विचाराधीन रहा था । उसके उपरांत अब यह प्रा.पत्र वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा का बहिनों यथा अप्रार्थी संख्या 5 लगायत 7 के संबंध में प्रा. पत्र पेश कर अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करना समझ से परे हैं, जबकि यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि लगभग 3 वर्ष से प्रकरण तो अपूरणीय क्षति का प्रश्न भी प्रार्थी के

Signature Not Verified
Digitally signed by Rekha Meena
Date: 2024.10.01 16:21:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बसवा (दौसा)

पक्ष में तय नहीं होता है, प्रकरण खारिज योग्य है ।

3. **प्रथम दृष्टया मामला :–** प्रकरण के गहन अध्ययन के उपरांत यह पूर्णतया निश्चयन हो जाता है कि प्रकरण में के संबंध में अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 7 की ओर से जवाब व स्वयं के पक्ष के साक्ष्य सबूत पेश नहीं करना, प्रश्नगत पंजीयन विलेख दिनांक 5.9.2005 को निरस्त करवाने के लिये कोई सक्षम न्यायालय में चाराजोई नहीं करना, ऐसी दशा में बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में तय नहीं होता है ।

प्रकरण के समपूर्ण अध्ययन एवं बहस के उपरांत हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि प्रार्थना पत्र अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 20.9.2021 काबिले खारिज होने से उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 20.9.2021 को खारिज किया जाता है ।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर, दाखिल दफ्तर होकर नंबर से कम होकर, दाखिल दफ्तर हो ।

(रेखा मीना)
उपखण्ड अधिकारी
जिला दौसा (दौसा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rekha Meena
Date: 2024.10.01 16:21:24 IST
Reason: SelfAttested